न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासन अधिकारी का नाम :–हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–   /2019

1. राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 RTA, 136 LR act.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1. श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता   वादी
2. राज पैरोकार   वास्ते स्टेट

निर्णय   दिनांक : 03.02.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआर एक्ट के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 7/11 प0न0 11/183 मु0न0 37 कि0न0 1 ता 25 कुल किता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी (वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 59/42 प0न0 12/176 मु0न0 30 कि0न0 1 ता 25 कुल किता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला नहरी बारानी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी (वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक नम्बर 12 एसडीपी के खाता संख्या 55/38 में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक नम्बर 9 एलएलजी के खाता संख्या 58/26 में प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित चकों 13 एसडीपी के खाता संख्या 7/11 व 59/42 में प्रार्थी (वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात माल है। उक्त नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा घरेलू नाम राजाराम सहवन से दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी (वादी) का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशीराम है। प्रार्थी (वादी) के अन्य पहचान दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास आदि में प्रार्थी (वादी) का सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान अंकित है इसलिए प्रार्थी (वादी) अपने नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा घरेलू नाम सहवन से अंकित प्रार्थी (वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम के स्थान पर दुरूस्ती करवा कर प्रार्थी (वादी) अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

Scanned by CamScanner

काशीराम अंकित करवा कर घोषणा करवाने का हक व अधिकारी है। प्रार्थी ने अपना उक्त नाम राजाराम पुत्र काशीराम आधार कार्ड में सही करवाकर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशीराम करवा लिया है। प्रार्थी के राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास की फोटो प्रति संलग्न वादपत्र है। सरपंच ग्राम पंचायत पन्नीवाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत पन्नीवाली द्वारा भी प्रार्थी (वादी) का नाम राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान की तस्दीक की गयी है कि प्रार्थी (वादी) राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम के नाम से जाना जाता है। इसलिए प्रार्थी (वादी) राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवा कर अपना सही नाम राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान करवाने का हकदार व अधिकारी है। प्रार्थी (वादी) के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी (वादी) का नाम सही नहीं होने के कारण प्रार्थी (वादी) को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न लाभाविन्त योजनाओं जैसे ऋण, मुआवजा राशि आदि से वंचित रहना पड़ता है तथा विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी (वादी) उक्त राजस्व रिकार्ड चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 59/42 व 7/11 में राजाराम पुत्र काशीराम के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर अपना सही नाम राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम अंकित करवाने का हक व अधिकारी है। प्रार्थी (वादी) दिनांक 04.10.2019 को अप्रार्थी (प्रतिवादी) से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु मिला तो अप्रार्थी ने प्रार्थी (वादी) से कहा कि सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व सादुलशहर से आदेश लेकर आओ, यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और स्पष्ट ईन्कार हो गया। बस यही बिनाय वाद पत्र है।

लिहाजा वादपत्र प्रार्थी (वादी) बाबत रिकार्ड में नाम की घोषणा व
दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व 136 एल.आर. एक्ट पेश कर अर्ज है कि वाद
वादी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 7/11
प0न0 11/183 मु0न0 37 कि0न0 1 ता 25 कुल किता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325
हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी
(वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड के स्थान पर राजेन्द्र
प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने की घोषणा
की जावे व चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 59/42 प0न0 12/176 मु0न0 30
कि0न0 1 ता 25 कुल किता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला
नहरी बारानी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी (वादी) का नाम
राजाराम पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद उर्फ
राजाराम पुत्र काशीराम राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट
तलब की गयी व सहखातेदारो के शपथ पत्र लिये गये।

बहस सुनी गयी, दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो
को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी प्रार्थी के नाम विरासतन दर्ज हुयी है व प्रार्थी के नाम अलग रखे जाने कि सम्बध में सहकाश्तकारो के सम्बध में शपथ पत्र में अंकन है कि प्रार्थी का नाम प्रचलित नाम व रिकार्ड में नाम भिन्न–भिन्न है। प्राप्त रिपोर्ट व मौहतबिरान व्यक्तियों के शपथ पत्र व सहकाश्तकारों के शपथ पत्र एवं प्रार्थी के नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट पेश की है जो कि प्रार्थी के भाई के नाम राजस्व रिकार्ड में आराजी बहिस्सा बराबर दर्ज है जिसके सम्बध में कोई विरोध नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर एवं तहसीलदार (राजस्व) को आदेशित किया जाता है कि चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 7/11 प0न0 11/183 मु0न0 37 कि0न0 1 ता 25 कुल किता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी (वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड के स्थान पर **राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम** राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व चक 13 एसडीपी के खाता संख्या 59/42 प0न0 12/176 मु0न0 30 कि0न0 1 ता 25 कुल किता 25 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर मय गैर मुमकिन खाला नहरी बारानी आराजी जिसमें प्रार्थी (वादी) का नाम राजाराम पुत्र काशीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड के स्थान पर **राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजाराम पुत्र काशीराम** राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.02.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:34:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: